

परिशिष्ट तीन ( नियम 5)

1. संवर्गाचे नांव- लघुटंकलेखक

२. वेतन श्रेणी - एस-८ : २५५००- ८११००

3. दिनांक 1 जानेवारी 2024 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी ( दि.1 जानेवारी 2024 ते दि.31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत कार्यरत कर्मचा-यांची यादी )

| नियम 3<br>(2) (ब)<br>नुसार<br>ज्येष्ठता | शासकीय कर्मचा-याचे नाव         | \$ संबंधित<br>पदावरील<br>नियुक्तीचा मार्ग | जन्म दिनांक ++<br>(दिनांक-महिना-वर्ष) | # प्रवर्ग | नियम 3(2)<br>(अ) नुसार<br>संवर्गात प्रत्यक्ष<br>रुजू दिनांक | ## ज्येष्ठतेचा<br>दिनांक | सेवानिवृत्तीचा दिनांक<br>(दिनांक-महिना-वर्ष) | शैक्षणिक अर्हता (ज्या<br>पदासाठी आवश्यक<br>आहे तेथेच हा रकाना<br>अंतर्भूत करावा.) @ | शेरा |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                                       | 2                              | 3                                         | 4                                     | 5         | 6                                                           | 7                        | 8                                            | 9                                                                                   | 10   |
| 1                                       | श्री.समृद्धी रविंद्र साळगांवकर | पदोन्नती                                  | 27-09-1980                            | इ.मा.व.   | 03-04-2000                                                  | 12-02-2008               | 30-09-2038                                   | बी.एस.सी.                                                                           | -    |

क्र.सिंजिप/साप्रवि/आस्था-03/जे.सू/1861/2024  
सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,सिंधुदुर्ग  
सिंधुदुर्गनगरी दिनांक ०७ / ०१ / 2024

**प्रत :- माहितीसाठी व आवश्यक कार्यवाहीसाठी**

१. प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.सिंधुदुर्ग

२. खाते प्रमुख (सर्व) जि. प. सिंधुदुर्ग

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.)  
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग